

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अगस्त, 2022 मास की महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं:-

1. अगस्त, 2022 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

i. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशन संवितरण बैंकों में पेंशन संबंधी कार्य करने वाले केंद्रीय पेंशन प्रक्रमण केंद्रों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। इसका उद्देश्य, पेंशनभोगियों के लिए 'सुविधापूर्ण जीवन' सुनिश्चित करना और बैंक से संबंधित शिकायतों के मूल कारण से निपटना है। इस श्रृंखला में द्वितीय कार्यक्रम देश के उत्तरी क्षेत्र को कवर करने वाले पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के लिए 30 और 31 अगस्त, 2022 को अमृतसर में आयोजित किया गया था। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन नीतिगत सुधारों और पेंशन संवितरण के डिजिटलीकरण पर सत्र आयोजित किया। पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। मुख्य नियंत्रक (पेंशन), सीपीएओ ने पेंशनभोगियों की शिकायतों के मूल कारणों पर भी चर्चा की और इन शिकायतों के निवारण के लिए सुझाव दिया जो बैंक द्वारा की जा सकती है। क्षेत्र के वरिष्ठ पेंशनभोगियों को भी उनके इनपुट के लिए आमंत्रित किया गया था।

ii. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 24.08.2022 को उपसचिव (पी&पीडब्ल्यू) की अध्यक्षता में 06 मंत्रालयों/विभागों/संगठन (अर्थात् गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा रक्षा मंत्रालय) के साथ भारत वीसी के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

iii. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन प्रक्रिया की निगरानी करने और विलंब को ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार इनबिल्ट ऑटोमेटिक परिकलन से भी लाभ होता है। दिनांक 31.08.2022 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 817 संबद्ध कार्यालयों में 7887 डीडीओ के माध्यम से भविष्य लागू है। उमंग प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' पर की जा रही कार्रवाई देखी जा सकती है। 31.08.2022 की स्थिति के अनुसार, इस प्रणाली के माध्यम 37470 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों पर की जा रही कार्रवाई को विभिन्न चरणों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 170476 पेंशनभोगियों के लिए पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से अगस्त, 2022 मास में 2620 पीपीओ जारी किए गए। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

iv. मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए भविष्य पर पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

v. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए, विभाग ने अपने विभागीय ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला ट्विट की है।

vi. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना के आरंभ होने के बाद से, 8651 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 31.08.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4579 आलेख प्रकाशन हेतु प्रक्रियाधीन हैं। अगस्त, 2022 मास में, अनुभव के 131 आलेख प्रकाशित किए गए।

vii. संकल्प: 'संकल्प' पहल के तहत विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिनसे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

viii. इस माह के दौरान, 4024 शिकायतें दर्ज की गईं और 4195 का निपटान किया गया। दिनांक 31 अगस्त, 2022 को अंत शेष 3112 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/08/2022 को अग्रणीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	एक माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	31/08/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3283	4024	4195	1660	3112

iv. जेम (GeM) के माध्यम से खरीद:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अगस्त, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्नीचर और स्टेशनरी आदि (उत्पादों के लिए आदेश) की आपूर्ति के लिए 146678/- रुपये की राशि के लिए 13 (तेरह) आदेश और सेवाओं के लिए 70620/- रुपये की राशि के लिए 01 (एक) आदेश जेम के माध्यम से दिए हैं।